ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-44/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, परिकल्प खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, परिकल्प खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की** के माह 08/2014 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2020 से 21.10.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र कुमार, पर्यवेक्षक, श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2014 से 01.09.2014 तक श्री अनिल कुमार जैन, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 08/2008 से 07/2014 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** रुड़की मुख्यालय में स्थित आवासीय कॉलोनियों का रखरखाव एवं परिकल्पन कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2014-15	-	-	580.47	532.00	19.20	19.20	-	48.47
2015-16	-	-	548.70	537.79	66.02	66.02	-	10.91
2016-17	-	-	598.00	536.92	22.94	22.89	-	61.13
2017-18	-	-	654.80	573.27	16.00	16.00	-	81.53
2018-19	-	-	684.92	544.78	22.99	22.99	-	140.14
2019-20	-	-	10.01	7.42	35.00	35.00	-	2.59
2020-21 (माह 09/2020) तक)	-	-	4.65	2.53	15.00	14.65	--	2.47

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

(` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत**
		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई "स" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता (परिकल्प) एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की
4. अधीक्षण अभियंता, परिकल्प मण्डल, रुड़की
5. अधिशासी अभियंता, परिकल्प खंड, रुड़की

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, परिकल्प खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, परिकल्प खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016, 09/2019 एवं 06/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय एवं भिन्न वितीय वर्ष के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(vi) विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में अधीक्षण अभियंता द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है।

(vii) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी माह 09/2020 तक की है।

(viii) फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - शून्य

भाग द्वितीय - शून्य

(ix) खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2020 के अन्त में:-

(धनराशि रु॰ में)

(i)	नगद परिशोधन	शून्य
(ii)	सामग्री क्रय	शून्य
(iii)	निक्षेप पंजिका	26,72,588.00
(iv)	प्रकीर्ण अग्रिम	8642.00
(v)	भण्डार	16928.00

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:01- शासकीय आवासो के आवंटन के सापेक्ष ₹ 42.55 लाख की लंबित वसूली।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, परिकल्प खंड (सिंचाई विभाग), रुड़की के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (अक्टूबर 2020) में पाया कि खंड के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आवासीय एवं अन-आवासीय भवनों का रख-रखाव और आवासीय भवनों का आवंटन का कार्य शामिल है। खंड द्वारा आवासो का आवंटन विभागीय "आवास आवंटन नियमावली" के प्रावधानों के अंतर्गत, विभागीय समिति के माध्यम से किया जाता है। खंड के अधीन आवासो का विवरण निम्नवत है।

कुल आवास		भरे हुए (Occupied)	रिक्त (vacant)
श्रेणी	**संख्या**		
Type-I	86	81	05
Type-II	154	141	13
Type-III	76	74	02
Type-IV	50	49	01
कुल	**366**	**345**	**21**

लेखा परीक्षा द्वारा आवासो के आवंटन और किराए (HRA) एवं Flat Rent (License Fee/HRR) की वसूली से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच (वर्ष 2019-20 & 2020-21) में पाया कि, खंड के अधीन विभिन्न श्रेणी के आवासो में सिंचाई विभाग, उत्तराखंड के कार्मिक के अतिरिक्त अन्य शासकीय विभाग के कार्मिक, सेवानिवृत्त कार्मिक और अशासकीय लोगो को भी आवंटित किए गए है/आवासित है। लेखा परीक्षा जांच में पाया कि 34 सेवानिवृत्त कार्मिको या अशासकीय लोगो द्वारा HRA & HRR का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त 34 आवासितों से कुल `4254698.00 (Annexure -I) की वसूली सितम्बर 2020 तक लंबित थी। यह भी उल्लेखनीय है कि, उक्त 34 में से 05 आवासितों द्वारा आवास को खाली भी कर दिया गया है, जिनके सापेक्ष `507167.00 की वसूली लंबित है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा, अवगत कराया गया कि सेवानिवृत कार्मिको एवं अशासकीय लोगो को आवास आवंटन नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गयी एवं उसके उपरांत सेवानिवृत्त कार्मिको से आवास रिक्त कराने हेतु भी खंड द्वारा यथोचित कार्यवाही की गयी है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि, उक्त विभागीय कार्यवाही के बावजूद भी सेवानिवृत कार्मिक एवं अशासकीय लोग अनधिकृत रूप से वर्तमान तक आवासित है तथा उनके द्वारा, निर्धारित HRA & HRR भी नहीं जमा किया जा रहा है।

अतः सेवानिवृत्त कार्मिको या अशासकीय लोगो से कुल `4254698.00 (Annexure -I) की लंबित वसूली एवं अनधिकृत रूप से आवासित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure -I							
Sl. No.	**Quarter No**	**Name of the Occupant (Sh./Ms.)**	**Designation**	**Monthly Rent**	**Rent Balance (Upto 2019-20)**	**Rent Balance (Upto Sept-20)**	**Remarks**
1	P-10	Ami Chand	Sweeper	3306	193076	212912	
2	P-1& 2	Suresh Chand	Peon	6606	42730	35366	
3	P-17	Daal Chand	Mate	3306	14076	33912	
4	P-20	Rampal Singh	Peon	3306	160140	179976	
5	P-76	Mahendra Pal Singh		3306	78756	98592	
6	P-78	Ram Kumar Sharma		3306	58642	78478	
7	37/2	Vijay Singh Kashyap	Peon	3889	132944	156278	
8	37/5	Bal Mukund	Peon	3702	96618	118830	
9	64/2	D P Saxena		3889	74696	73030	
10	35/4	Bhopal Singh	Computer	5286	25976	57692	
11	28-III	Ram Das	AO	5506	74622	107658	
12	48-III	Jagdish Prasad	PA	5055	93511	124291	
13	51-III	Jagdish Prasad	Sr. Assistant	5055	132023	162803	
14	52-III	Ram Gopal	CA	5055	119125	124455	
15	30./.4	Ramesh Kumar		6635	70297	70297	**Vacated the Quarters**
16	P-23	Khalil Ahmad		3306	72732	92568	
17	38/2	Nathi Ram	Peon	3889	54068	77402	
18	39/2	Harish Kumar	Steno	HRR	28470	32826	
19	45/2	Jagheeruddin		3889	90955	114289	
20	47/4	Atma Singh		3702	123594	145806	
21	47/6	Anil Kumar	JE	3702	71114	63326	
22	69/3	Dinesh Chauhan	Constable	HRR	40666	41022	
23	76/4	Narendra Singh	police	3741	200572	220818	
24	30/.1	Anil Rana	**Vacated**	NA	200690	200690	**Vacated the Quarters**
25	30/2	Shish Pal	SAO	NA	46665	54531	
26		Ajit Gupta	**Vacated**	NA	78321	78321	**Vacated the Quarters**

27	A-71/2	Vaijaintee Mala	**Vacated**	HRR	31359	31359	**Vacated the Quarters**
28	OFH-24/2	Pradeep Tomar	SI	HRR	49298	55936	
29		Govind Bhatt	**Vacated**		126500	126500	**Vacated the Quarters**
30	45/6	Sudhir Kumar Shandilya	Jila Adyksh (Ex)		148010	170222	
31	OFH-25/2	Rajesh Arya	Reporter			441727	
32	A-71/1	Smt. Monika Ghidiyaal	LIC	7141	158427	131273	
33	A-70/3	Adesh Kumar Saini	up sabhapati (Ex)		451485	492285	
34	A-41/1	P S Tomar	PRO	7130	44443	49227	
Total					**3788474**	**4254698**	

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर:02- निक्षेप कार्य की अवशेष राशि को अनावश्यक रूप से रोका जाना, ₹27.21 लाख।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खंड-6) के प्रस्तर-514 व 519-ब के प्रावधानों अनुसार निक्षेप कार्य की समाप्ती के उपरांत अवशेष राशि, यदि कोई हो, को यथाशीघ्र वापस लोटाते हुए कार्य के लेखों को बंद करने की कार्यवाही सुनिशित की जानी होती है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, परिकल्प खण्ड, सिंचाई विभाग, रुड़की के अभिलेखों के अवलोकन (10/2020) में पाया गया था कि खण्ड को उत्तराखंड आपदा (2013) रिकवरी परियोजना (UDRP) से संबन्धित PIU-TACBDRM (Technical Assistance and Capacity Building for Disaster Risk Management), देहरादून से उत्तराखंड में स्थित कुछ नदियों से संबन्धित रिवर मोर्फोलोजी रेपोर्टों के वेटिंग कार्यों (Vetting of technical reports, design, drawings and DPRs of River Morphology and River Training works Studies) के लिए कुल `72.81 लाख की निक्षेप राशि प्राप्त (06/2017 से 03/2019 के मध्य) हुई थी।

कार्य से संबन्धित खंडीय पत्रावली की लेखा परीक्षा जांच (10/2020) में पाया गया था कि इन कार्यों का निष्पादन सात कंसल्टेंसी अनुबन्धों के तहत दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किए गए थे जबकि उक्त के भुगतान ₹45.60 लाख अत्यधिक देरी से जून/जुलाई 2020 में किए गए थे। यह भी कि खण्ड द्वारा इस निक्षेप कार्य की अवशेष राशि ₹27.21 लाख को लेखा परीक्षा तिथि तक PIU-TACBDRM, देहरादून को वापस नही किया गया था।

लेखा परीक्षा की इन आपप्तियों पर अधिशासी अभियंता, परिकल्प खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया था कि प्राप्त देयकों में त्रुटियाँ/कमियाँ पाये जाने व संबन्धित परिकल्प इकाई-3 द्वारा निष्पादित कार्यों के सत्यापन में की गई देरी के कारण भुगतान में देरी हुई थी जबकि अवशेष धनराशि को संबन्धित विभाग को वापस किए जाने का आश्वासन दिया गया था। खंडीय उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि उक्त कार्य विश्व बैंक ऋण पोषित (UDRP) 2013-आपदा कार्यों से संबन्धित होने के कारण समयवद्ध रूप में पूर्ण किया जाना चाहिए था ताकि राज्य सरकार को उक्त राशि की सीमा का ऋण कम उठाना पड़ता और खण्ड द्वारा सभी देयकों के भुगतान के उपरान्त भी अवशेष राशि को वापस नहीं किया गया था, जो उपरोक्त वर्णित वित्तीय प्रावधानों के विरूद्ध था।

अतः प्रदत्त आश्वासन के अनुरूप अवशेष राशि ₹27.21 लाख को यथाशीघ्र वापस लाये जाने हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
41/2004-05	--	01	--
03/2008-09	--	01	--
34/2014-15	--	01	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों के संबंध में खंड ने उत्तर में बताया कि संबन्धित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति के उपरांत प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य--

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, परिकल्प खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री रामबाबू सिंह	अधिशासी अभियंता	08/2014 से 10/2014 तक
2.	श्री महेश कुमार खरे	अधिशासी अभियंता	11/2014 से 25.11.2014 तक
3.	श्री रामबाबू सिंह	अधिशासी अभियंता	25.11.2014 से 12.12.2014 तक
4.	श्री महेश कुमार खरे	अधिशासी अभियंता	12.12.2014 से 29.01.2015 तक
5.	श्री रामबाबू सिंह	अधिशासी अभियंता	29.01.2015 से 03/2015 तक
6.	श्री महेश कुमार खरे	अधिशासी अभियंता	04/2015 से 07/2015 तक
7.	श्रीमति मंजू	अधिशासी अभियंता	08/2015 से 11/2017 तक
8.	श्री कपिल कुमार	अधिशासी अभियंता	12/2017 से 02/2018 तक
9.	श्रीमति मंजू	अधिशासी अभियंता	03/2018 से 08/2018 तक
10.	श्री महेश कुमार खरे	अधिशासी अभियंता	09/2018 से 12/2018 तक
11.	श्री रामस्वरूप रतूड़ी	अधिशासी अभियंता	01/2019 से 02/2019 तक
12.	श्री बिनोद प्रसाद डंगवाल	अधिशासी अभियंता	03/2019 से वर्तमान तक

5. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहे:-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री डी.एम. तोमख्याल	खंडीय लेखाधिकारी
2.	श्री सतीश कुमार	खंडीय लेखाधिकारी
3.	श्री राजीव गोयल	खंडीय लेखाधिकारी
4.	श्री डी.एस. रावत	खंडीय लेखाधिकारी
5.	श्री राजीव गोयल	खंडीय लेखाधिकारी
6.	श्री ओम प्रकाश मीणा	खंडीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, परिकल्प खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार/ ए०एम०जी०-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए०एम०जी० - I